

—:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक. 62/ दो-8-1/2001

उज्जैन, दिनांक 12 नवम्बर, 2025

इस न्यायिक जिला स्थापना मुख्यालय/तहसील न्यायालयों में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड के न्यायालयों का दिनांक 31.12.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतु विशेष न्यायाधीश/जिला न्यायाधीशों को उनके नाम के सामने अंकित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड के न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षणकर्ता पीठासीन अधिकारी संबंधित न्यायालयों का निरीक्षण किये जाने हेतु संलग्न प्रपत्र एवं निर्देश अनुसार निरीक्षण कर, निरीक्षण टीप को 15 दिवस में आवश्यक रूप से मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें:-

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	पदनाम	किस न्यायालय का निरीक्षण किया जाना है
01	श्री अरविन्द प्रताप सिंह चौहान	विशेष न्यायाधीश (अजा/जजा) उज्जैन	श्रीमती शैफाली सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खाचरौद श्रीमती सोनम शर्मा (जूनि.) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागदा
02	श्री संजय श्रीवास्तव	पंचम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री मनीष पाण्डेय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागदा श्री पंकज बुटानी अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खाचरौद
03	श्री हर्ष भदौरिया	षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती सौम्या विजयवर्गीय द्वितीय अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नागदा श्रीमती भावना जाटवा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़नगर
04	श्री संजय राज ठाकुर	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती ऋचा गोयल बंसल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़नगर
05	श्री विवेक कुमार चंदेल	अष्टम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री गौरव चौऋसिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़नगर
06	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	द्वितीय अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	सुश्री सोनम डहेरिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़नगर
07	श्री अमित कुमार गुप्ता	सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री शिरीष शुक्ला व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना
08	श्रीमती मंजुल पाण्डेय	दशम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्रीमती संगीता शुक्ला प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तराना
09	श्री संतोष सैनी	एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री आयुष अरोरा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तराना
10	श्री पवन कुमार पटेल	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	सुश्री चेतना दशोरा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड महिदपुर
11	श्री हेमन्त सविता	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	सुश्री ऋतम्भरा राजे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड महिदपुर
12	श्री विकास चौहान	नवम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन	श्री शिवम सोनी चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड महिदपुर
13	श्रीमती नीतू कान्ता वर्मा	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद	श्री अश्विन परमार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उज्जैन सुश्री सृष्टि पटेल चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
14	श्री नीरज शर्मा	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद	श्रीमती सारिका भाटी पंचम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्रीमती पूजा भदौरिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
15	श्री विवेक शुक्ला	अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा	श्री राघवेंद्र पटेल सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री प्रियंका सोलंकी एकादश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
16	श्री चन्दर शेन मुवेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागदा	श्री अनुराग शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री दिव्यानी सिंह पंचम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
17	श्री राम बिलास गुप्ता	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़नगर	श्रीमती सोनाक्षी चतुर्वेदी शर्मा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री ज्योति फुस्केले नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन

क्रं.	न्यायाधीश का नाम	पदनाम	किस न्यायालय का निरीक्षण किया जाना है
18	श्रीमती प्रेमा साहू	अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना	सुश्री दीपिका यादव द्वितीय अति.व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन श्री राहुल दीवान दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
19	श्रीमती किरण कोल	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तराना	श्री सीताराम दास षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री पारूल जैन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
20	श्री सुशील कुमार जोशी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर	श्रीमती कोमल आंजना सिंह अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री शुभांगी जैन द्वितीय अति.व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड उज्जैन
21	श्री कमलेश सनोड़िया	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर	श्री अर्पित जैन नवम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन सुश्री अपूर्वा मिश्रा प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उज्जैन

(पी.सी. गुप्ता)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

10239

पृ.क्रमांक...../दो-8-1/2001

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।
- (2) विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), उज्जैन।
- (3) समस्त जिला न्यायाधीश उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
- (4) समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/तराना/महिदपुर

की ओर सूचनार्थ एवं इस टीप के साथ प्रेषित कि संबंधित न्यायाधीशगण अपने-अपने न्यायालयों के संलग्न प्रपत्र एवं दिये गये निर्देश अनुसार प्रकरणों को निरीक्षण हेतु संबंधित निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मंगवाये जाने पर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

12 NOV 2025

निर्देश

- समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन/खाचरौद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर, तराना को निर्देशित किया जाता है कि वे नीचे लिखे अनुसार प्रकरण व्यवहार न्यायाधीशगण से प्राप्त होने पर संलग्न निर्देश के अनुसार निरीक्षण करें एवं निरीक्षण टीप कार्यालय में 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करें। निरीक्षण टीप तैयार करते समय निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण अपनी निरीक्षण टीप इस प्रकार अंकित करें कि प्रकरणों के विचारण/निराकरण के संबंध में निरीक्षण किये गये न्यायाधीशगण को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण द्वारा जिन न्यायाधीशगण के न्यायालयों का निरीक्षण किया जायेगा, उनमें लंबित साम्प्रतिक प्रकरणों में उनके द्वारा निराकृत किये गये आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के आवेदन पत्रों का भी परीक्षण किया जावे।
- निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण द्वारा जिन न्यायाधीशगण के न्यायालयों का निरीक्षण किया जायेगा, उनमें उनके न्यायालयों में लंबित सबसे पुराने विशेष प्रकरणों (special cases) का भी निरीक्षण करेंगे।
- साथ ही निरीक्षणकर्ता न्यायाधीशगण ऐसे लंबित आपराधिक प्रकरणों का भी निरीक्षण करेंगे जिनमें अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् 60 दिवस की अवधि से अधिक आरोप विरचित नहीं हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त समस्त जांचकर्ता अधिकारीगण निरीक्षण किये जाने वाले न्यायाधीश से अपने विवेकानुसार 04 सिविल व 04 आपराधिक निराकृत एवं लंबित प्रकरणों को उनके न्यायालय से मंगाये जाकर जांच करेंगे।
- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखंड/कनिष्ठखंड को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में सबसे पुराने लंबित 01 आपराधिक एवं 01 साम्प्रतिक प्रकरण तथा आपके द्वारा वर्ष 2025 में निराकृत 01 सबसे पुराना विवादित (contested) साम्प्रतिक वाद प्रकरण एवं निराकृत 01 सबसे पुराना विवादित (contested) आपराधिक प्रकरण निरीक्षण हेतु प्रेषित करें।
- निरीक्षण के दौरान इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे कि अन्तर्वर्ती आवेदनों के निराकरण में कितनी तत्परता बरती गई एवं अभियोजन साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित होने या प्रस्तुत करने बाबत् कितनी सजगता या तत्परता बरती गई तथा आपराधिक मामलों में साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने में कितना प्रभावी नियंत्रण रखा और क्या अनावश्यक साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध हुए हैं।
- दोषसिद्धि के मामलों में इस बात पर भी ध्यान दिया जावे कि कितना संतुलित दण्ड दिया गया तथा सिविल मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन एवं विवेचना का उल्लेख भी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में किया जावे।
- सबसे पुराना निष्पादन प्रकरण एवं सबसे पुरानी एम.जे.सी. (सिविल, क्रिमिनल) का भी निरीक्षण किया जावे कि उसमें क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है, इसका भी निरीक्षण किया जावे।
- कितने सबसे पुराने अपंजीकृत परिवाद लंबित हैं, कितने उपार्पण के प्रकरण दो पेशियों से अधिक हैं, लंबित हैं, इसका भी निरीक्षण किया जावे।

12-11-25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)